नगर परिषद सुजानपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2014 से 03/2016

भाग-एक

(1) (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81-फिन (एल०ए०) खण्ड -(ख), IV/ दिनांक 10.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद सुजानपुर के लेखों का अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे:-

प्रधान नगर परिषद

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री मनोज ठाकुर	01.04.14 से 20.01.16
2	श्री रमन भटनागर	21.01.16 से लगातार

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री राज कृष्ण शर्मा	01.04.14 से 31.03.16

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण:-

क्र०सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	अनुदान का उपयोग न करना	5(क)	109.88
2	गृह कर की राशि वसूली हेतु बकाया	6(i)	20.42
3	46 गृह करदाताओं से राशि वसूली हेतु शेष	6(ii)	11.27
4	किराये पर दिये गए भवनों की गृह कर की गणना नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप हानि	6(iii)	0.62

5	दुकानों के किराये की राशि वसूली हेतु बकाया	7(i)	18.01
6	तहबाजारी शुल्क की राशि वसूली हेतु बकाया	8	1.93
7	रैहन वसेरा भवन के बिजली बिल का अनियमित भुगतान	10	0.40
8	बिना निविदायें आमंत्रित किए सामग्री का क्रय करने बारे	14	0.49
9	धरोहर राशि को नियम के अनुसार परिषद की आय में लेखांकित न करना	17	3.51
10	भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना	18	-

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान लगभग 75 से भी ज्यादा अनिर्णीत पैरो पर नगर परिषद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की है। अतः वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इन पैरो को निर्णीत कर दिया गया है जोकि एक सराहनीय कदम है।

भाग- दो

(2) वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद सुजानपुर के लेखों अवधि 4/2014 से 3/2016 तक का अंकेक्षण कार्य श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 20.10.16 से 26.11.2016 तक सुजानपुर मे किया गया , जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	03/2015
2015-16	03/2016	12/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं , के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

(3) अंकेक्षण शुल्क:-

नगर परिषद के अवधि 04/14 से 03/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹44600 आँका गया। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या LAD/HMR/2016/274 दिनांक 25.11.2016 द्वारा अनुरोध किया गया, अंकेक्षण शुल्क की उपरोकत राशि को नगर परिषद द्वारा ड्राफ्ट संख्या 646704 दिनांक 02.12.16 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया है।

(4) वितीय स्थिति :-

नगर परिषद सुजानपुर के अवधि 04/ 14 से 03/16 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(क) मुख्य रोकड़ वही :- (परिशिष्ट 'ख" पृष्ठ 1-3)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	स्व स्त्रौत से आय	अनुदान	अन्य	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	2930216.50	3936278	24912529	2700464	34479487.50	20059928	14419559.50
2015-16	14419559.50	3963674	15171600	3304834	36859667.50	22343919	14515748.50

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 14515748.50

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 14364606.50

हस्तगत राशि : ₹ 179856

अन्तर की राशि : ₹ 28714

बैंक खाता संख्या	राशि
PNB A/C No. 0890000100128513	1816337.50
SBI A/C No. 30721880639	97859.00
CANARA A/C No. 3558101000394	5424143.00
SBP A/C No. 65185445854	2549149.00
FDR,S No. 089000DP00013768	2238559.00
FDR,S No. 089000DP00013777	2238559.00

कुल राशि **14364606.50**

Bank Reconciliation Statement

Particulars	**Debit**	**Credit**
Balance a per Cash Book as on 31.03.16	14515748.50	-
Cheque issued but not presented for payment:		
Cheque No. 493221(SBI) Dt. 16.07.13 Rs. 1300		
Cheque No. 592850(PNB) Dt. 10.02.16 Rs. 1990		
Cheque No. 592866(PNB) Dt. 10.03.16 Rs. 1979	28714	
Cheque No. 592868(PNB) Dt. 10.03.16 Rs. 2500		
Cheque No. 592870(PNB) Dt. 10.03.16 Rs. 945		
Cheque No. 592873(PNB) Dt. 10.03.16 Rs. 20000		
Cash in Hand	-	179856
Balance as per Pass Book	-	14364606.50
Total	**14544462.50**	**14544462.50**

(i) जांच में पाया कि दिनांक 16.07.2013 को चैक संख्या 493221(SBI) ₹1300 का जारी किया गया था लेकिन यह चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं अब यह चैक कालातीत हो चुका हैं। अतः उक्त चैक के भुगतान की पुष्टि बैंक से करने के उपरान्त इसकी प्रविष्टि रोकड़ वही के आय पक्ष में करके समायोजित करना सुनिश्चित करें।

(ख) S.J.S.R.Y रोकड़ वही :- (परिशिष्ट 'ख" पृष्ठ 4-5)

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**अनुदान व ब्याज**	**कुल राशि**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014-15	389698	807928	1197626	461658	735968
2015-16	735968	28784	764752	32000	732752

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹732752

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹732752

(KCCB A/C No. 20042054152)

(ग) पेंशन रोकड़ वही :- (परिशिष्ट 'ख" पृष्ठ 6-7)

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल राशि**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014-15	4283652	782913	377891	5444456	0	5444456
2015-16	5444456	1316082	445549	7206087	572408	6633679

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹6633679

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹6633679

(KCCB A/C No. 20042054129) ₹2241560.00

(FDR,S No. 089000PUO0009544) ₹4392119.00

(5) अनुदान ;-

(क) नगर परिषद सुजानपुर की अंकेक्षणाधीन अवधि 04/14 से 03/16 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तशेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट 'ग" पृष्ठ 1-7** में दिया गया है ।

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**अनुदान**	**कुल राशि**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014-15	1765366	25720457	27485823	17462954	10022869
2015-16	10022869	15200384	25223253	14234844	10988409

विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रौतों से प्राप्त राशि में से दिनांक 31.03.16 को ₹10988409 अनुप्युक्त पड़ी थी जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः इन अनुपयोगी अनुदान राशियों को समयवध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उदेश्यों जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी , व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इन राशियों का प्रत्यार्पण संबन्धित विभा गों को किया जाये तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(ख) जांच में पाया कि नगर परिषद को वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में वर्ष 2013-14 की अपेक्षा स्व- स्त्रौतों से लगभग 30% कम आय प्राप्त हुई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं स्व-स्त्रौतों की आय को बढ़ाना भी सुनिश्चित करें। पिछले तीन वर्ष के आय का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	**स्व स्त्रौत से आय**
2013-14	5583677
2014-15	3936278
2015-16	3963674

(6) गृह कर:-

(i) <u>गृह कर की बकाया ₹20.42 लाख की वसूली न करना</u> :-

परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है लेकिन नगर परिषद को दिनांक

31.03.16 तक ₹2042416 गृहकर के रूप में वसूलनी लम्बित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट-घ"** में दिया गया है , लम्बित राशि का न वसूला जाना एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या: यू0डी0एच0(ब)(15)-4/99, दिनांक 26.6.2003 में समाविष्ट निर्देशानुसार जो करदाता 10 दिनों में करों का भुगतान कर देता है , उसे चालू वर्ष की माँग पर 20% की दर से छूट प्रदान की जाए यदि देय गृहकर मांग जारी करने के 10 दिन उपरान्त भुगतान करता है तो 10 % की दर से अधिभार लगाया जाना अपेक्षित है। अतः गृहकर की वसूली हेतु लम्बित राशि को वसूल करने हेतु शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा देरी से गृहकर को जमा करवाने के लिए नियमानुसार 10% की दर से अधीभार की भी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ii) <u>46 गृह करदाताओं से ₹11.27 लाख वसूली हेतु शेष</u> :-

जांच में पाया कि कुल बकाया गृहकर की राशि में से ₹1127196 केवल 46 करदाताओं से वसूली हेतु बकाया थी। अर्थात कुल बकाया गृहकर का 55% इन्ही करदाताओं से वसूली हेतु लम्बित था। नगर परिषद द्वारा करदाताओ को सभी मूलभूत सुविधाएं समय-2 पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अतः नियमानुसार इन करदाताओं से गृहकर की वसूली हेतु उचित कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। दिनांक 31.03.16 तक उक्त वर्णित गृहकर की बकाया राशि निम्नलिखित करदाताओं से वसूली हेतु शेष थी।

क्र.सं.	वार्ड संख्या	घर संख्या	गृहकरदाता का नाम	बकाया राशि
1.	1	240	श्री त्रिलोक सिंह	11880.00
2.	2	13	श्री शान्ति भटनागर	38371.00
3.	2	63	श्री राजेन्द्र सिंह	20124.00
4.	2	78	श्रीमति कमला देवी	11374.00
5.	2	102	श्रीमति निर्मला देवी	19180.00
6.	2	163	श्रीमति उर्मिला देवी	43993.00
7.	2	164	श्री प्यार चन्द	26558.00
8.	2	165	श्री काली दास	37200.00
9.	2	176	श्री शादी लाल	22584.00
10.	2	184	श्रीमति सोमा देवी	39961.00
11.	2	187	श्री प्रदीप सोनी	41202.00

12.	2	200	श्री फकीर चन्द	23129.00
13.	2	202	श्रीमति कमला देवी	13938.00
14.	2	212	श्री राकेश कुमार	22131.00
15.	2	242	श्री रमेश चन्द	13200.00
16.	2	250	श्री राकेश कुमार	18460.00
17.	2	327	सहायक अभियन्ता, HPSEB	18360.00
18.	3	10	श्रीमति निर्मला देवी	19639.00
19.	3	42	श्री हरनाम सिंह	26400.00
20.	3	61	श्री तुलसी राम	24473.00
21.	3	64 A	श्री तुलसी राम	39390.00
22.	3	65 A	श्री तुलसी राम	15631.00
23.	3	179	BMO, सुजानपुर	43890.00
24.	4	122	श्री अजीत कुमार	11474.00
25.	5	149	श्रीमति कमला देवी	14465.00
26.	5	163	श्री सुरजीत कुमार	23339.00
27.	5	164	श्री अमर सिंह	11303.00
28.	5	165	श्री ज्ञान चन्द	11918.00
29.	5	172	श्री कश्मीर सिंह	97155.00
30.	5	197 A	श्री तुलसी राम	25065.00
31.	5	224	श्री देश राज	19163.00
32.	6	114	श्री ओम प्रकाश	13603.00
33.	7	128	श्री नारायण स्वरूप	12987.00
34.	7	144&145	BDO, सुजानपुर	13855.00
35.	7	147	ADO, सुजानपुर	12189.00
36.	8	21	श्री गम्भीर चन्द	58512.00
37.	8	69	श्री जलालूदीन	27720.00
38.	8	186	श्रीमति पवना देवी	20539.00
39.	9	15	श्री शक्ति चन्द	14525.00
40.	9	46	श्री बाल कृष्ण	29520.00
41.	9	84	श्री कमल जैन	18806.00
42.	9	87	श्री हर्ष जैन	18884.00
43.	9	101	श्री गुलशन कुमार	23882.00
44.	9	129	श्री सुनील कुमार	11753.00
45.	9	240	श्री सुनील कुमार	45471.00

कुल बकाया राशि 1127196.00

(iii) <u>किराये पर दिये गए भवनों की गृह कर की गणना नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप ₹0.62 लाख की हानि</u> :-

जांच में पाया कि नगर परिषद द्वारा किराये के भवनों के गृहकर की गणना नगर पालिका अधिनियम 1994 में वर्णित नियमों के अनुसार नहीं किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप नगर परिषद को प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हानि हो रही है । अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250 दिनांक 24.10.16 द्वारा नगर परिषद प्रशासन से किराये के भवनों में चलित बैंको के किराये के इकरारनामे उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था। इकरारनामों की जांच करने पर पाया कि इन भवनों के गृहकर का निर्धारण नियमानुसार न करके लोगों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को दिनांक 31.03.16 तक ₹61674 की हानि हुई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

Name of Building	Name of Bank	Amount of monthly rent	House tax to be recovered (P.A)	Actual House Tax (P.A)	Period of occupation	Loss up to 31.03.16
Ward-2 Sr. 186, Karn, Arun&Kamlesh	PNB, from 04/2014	PNB-16120 (Actual Rent-16120 taken 9370) Other- 14394 Total- 30514	41193	35646	04/14 to 03/15	5547
	PNB, from 04/2014 HDFC FROM 30.03.15	PNB-16120 (Actual Rent-16120 taken 9370) Other- 14394 HDFC-23616 Total- 54130	73075	62196	04/15 to 03/16	10879
Ward-5, Sr, No. 253 ANITA VERMA	KCCB,	KCCB-12333 (Actual Rent-12333 taken 11000)	16649	16500	04/14 to 03/15	149
	KCCB,	KCCB-12333 (Actual Rent-12333 up to 03.01.16 and 19500 from 04.01.16 taken 11000)	19068	16500	04/15 to 03/16	2568
	MID HIMALAYA	MID HIMALAYA-16366(Actual Rent-16366 taken 12000)	22094	18000	11/05 to 03/16 (10 year, 4 months and 20 days	42531

उपरोक्त अनियमितता की सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 266 दिनांक 08.11.16 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी गई थी जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या MCS/SPT/2016-2-C-2236 दिनांक 29.11.2016 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अधियाचना में दर्शाई गई समस्त वसूली कर ली जाएगी। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद के क्षेत्र में स्थित समस्त किराये में दिये गये भवनों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें एवं उपरोक्त वर्णित वसूली योग्य ₹61674 की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप हानि:-

जांच में पाया कि नगर परिषद सुजानपुर में होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार नहीं किया गया था जिससे नगर परिषद को प्रतिवर्ष हानि हो रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250 दिनांक 24.10.16 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को होटलों के गृहकर निर्धारण बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाने के लिए कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या MCS/SPT2016-2-C-2202 दिनांक 15.11.16 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि होटलों का गृहकर एकमुश्त राशि के रूप में लिया जाता है। अतः नगर परिषद क्षेत्र में संचालित समस्त होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार होटलों के संचालन की अवधि से करके एवं समस्त बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित ताकि नगर परिषद की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अतः कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(v) नगर परिषद क्षेत्र में नव निर्मित भवनों पर गृहकर की वसूली न करने बारे :-

जांच में पाया कि वर्ष 2012-13 मेँ नगर परिषद सुजानपुर द्वारा स्वीकृत भवनों के नक्शों मेँ से निम्नलिखित भवनों पर गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार नहीं किया गया था जिससे नगर परिषद को प्रतिवर्ष हानि हो रही है। अतः इन भवनों पर गृहकर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं सभी भवनों पर गृहकर की वसूली करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

क्र.सं.	**प्रस्ताव संख्या**	**नक्शा**	**मकान मालिक का नाम**

		रजिस्टर पृ0सं0	
1	38/2012 दिनांक 25.04.12	51	Sh. Jagmohan Dimple Satpal S/O Sh. Kanshi Ram, Ward No. 3,
2	105/2013 दिनांक 08.02.2013	55	Smt. Kiran Kumari, Varinder Kumar other Bala Rathia Ward No. 6
3	105/2013 दिनांक 08.02.2013	57	Sh. Sanjay Kumar Dhiman S/O Sh. Krishan Kumar, Mohalla Acharya, Ward No. 6
4	105/2013 दिनांक 08.02.2013	57	Sh. Bachan Singh S/O Sh. Charan Das, Ward No. 3
5	105/2013 दिनांक 08.02.2013	58	Sh. Ratan Chand S/O Sh. Bansi Ram, Mohalla Acharya, Ward No. 6
6	105/2013 दिनांक 08.02.2013	58	Sh. Harbans Lal S/O Sh. Bakshi Ram, Ward No. 5

(7) दुकानों से आय:-

(i) <u>दिनांक 31.03.16 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹18 लाख की वसूली न करना</u>:-

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि का निर्माण करके किराये/पट्टे पर चढ़ाया गया है इनसे प्राप्त किराया ही परिषद की आय का मुख्य स्त्रौत है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'घ'** में दिया गया है, के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक किराये के रूप में ₹1800939 वसूली हेतु लम्बित थी। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू०एल०बी० एच०ए० (7) -1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन इसके विपरीत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुजानपुर द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए जो कि एक चिन्ताजनक विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ। कुल वसूली योग्य कुल राशि में से ₹1036910 केवल 11 दुकानदारों से वसूली जानी वसूलना शेष थी जिनका विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	दुकान सं0	दुकानदार का नाम	दिनांक 31.03.16 को वसूली योग्य राशि
1	69	Smt. Nisha Kumari W/O Sh. Balbir Singh	134500.00
2	70	Smt. Meera Devi W/O Sh. Muluh Raj	145000.00
3	71	Smt. Mansa Devi W/O Sh. Vinod Kumar	146750.00
4	72	Sh. Ravi Kumar S/O Sh. Ravi Rath	105900.00
5	81	Sh. Parmjeet Singh S/O Sh. Gurucharan Singh	80000.00

6	84	Sh. Pradeep Kumar S/O Sh. Shiv Ram	66850.00
7	85	Sh. Rakesh Kumar S/O Sh. Parsotam Chand	105700.00
8	86	Sh. Arun Mehra S/O Sh. Mast Ram	56200.00
9	88	Sh. Rupesh Kumar S/O Sh. Raj Kumar	65000.00
10	89	Sh. Shiv Kumar S/O Sh. Pnangan Ram	67500.00
11	53	Sh. Raju Bhardwaj S/O Sh. Shaligram	63510.00
		कुल वसूली योग्य राशि	**1036910.00**

अतः समस्त बकाया किराये की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) <u>दुकानों के किराएदारों से अनुबन्ध की शर्तानुसार अधिभार की राशि वसूल न करने के फलस्वरूप परिषद को ₹0.08 लाख की वित्तीय हानि :-</u>

परिषद द्वारा बनाई गई नई दुकानों के किराएदारों के साथ किए गए अनुबन्ध की शर्त संख्या-15 के अनुसार किरायेदार ₹100000 एकमुश्त राशि किराया अग्रिम सुरक्षा के रूप में नगर परिषद के पास जमा करेगा, जिसको किराया/लीज अवधि में 50% किराये से काटा/समायोजित किया जायेगा तथा शेष 50% किराया लीज अनुबन्ध की शर्त संख्या 19 के अन्तर्गत महीने की 10 तारीख या उससे पूर्व भुगतान किया जायेगा अन्यथा उस तिथि के उपरान्त भुगतान करने पर 2% की दर से अधिभार संचित (Cumulative Amount) पर लगाया जायेगा।

अभिलेख की जांच में पाया कि दुकान संख्या 69 से 93 तक आबंटित दुकानों के प्रतिमाह देय किराये की राशि को नियमानुसार 50% राशि को समायोजित न करके 100% देय किराये की राशि को अग्रिम राशि से समायोजित किया गया जबकि अनुबन्ध की शर्त के अनुसार केवल 50% किराया अग्रिम राशि से समायोजित किया जा सकता था तथा शेष किरायेदार को 10 तारीख से पूर्व जमा करवाना था अन्यथा देय राशि की वसूली अधिभार के साथ की जानी अपेक्षित थी , परन्तु नगर परिषद द्वारा किराएदारों को अनुचित लाभ देते हुये किरायेदारों द्वारा दुकान लेते समय जमा करवाई गई धरोहर राशि को पूर्ण रूप किराये में समायोजित कर दिया जिस कारण नगर परिषद को ₹7891 की वित्तीय हानि हुई , जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित है :-

दुकान संख्या	किरायेदार का नाम	किराये की राशि जो	किराया जो अग्रिम राशि से	जितनी किराये की अधिक	अधिभार (जितनी अधिक

		अग्रिम राशि से समायोजित की गई 100%	समायोजित किया जाना चाहिए 50%	राशि समायोजित की गई 50%	राशि अग्रिम से समायोजित की गई उस पर 2%)
69	श्रीमति निशा	26300	13150	13150	263
70	श्रीमति मीरा देवी	23000	11500	11500	230
71	श्रीमति मनसा देवी	22450	11225	11225	225
72	श्री रवि कुमार	33300	16650	16650	333
74	श्री प्रताप चंद	24000	12000	12000	240
75	श्री संजीव कुमार	45000	22500	22500	450
77	श्री अमनदीप सिंह	27900	13950	13950	279
78	श्रीमति नीलम	45100	22550	22550	451
79	श्री राज कुमार	27200	13600	13600	272
81	श्री परमजीत	40000	20000	20000	400
84	श्री प्रदीप कुमार	45950	22975	22975	460
85	श्री प्रेम सिंह	67975	33988	33988	680
86	श्री राकेश कुमार	39500	19750	19750	395
87	श्री अर्जुन कुमार	97800	48900	48900	978
89	श्री शिव कुमार	52500	26250	26250	525
90	श्री पंकज कुमार	45600	22800	22800	456
91	श्री मंजीत सिंह	69000	34500	34500	690
93	श्रीमति मोहिनी	56400	28200	28200	564
				कुल राशि	**7891**

इस प्रकार उक्त वर्णित दुकानदारों को अनुचित लाभ देते हुए अग्रिम राशि से 100% देय किराये की राशि को समायोजित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप नगर परिषद को वितीय हानि हुई थी। अतः उक्त वर्णित अधिभार की राशि के साथ-साथ 50% किराये की राशि को भी वसूलना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में नियमों के अनुसार ही किराये की वसूली करना सुनिश्चित करें।

(8) तहबाजारी शुल्क ₹1.93 लाख की वसूली न करने बारे :-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 तक ₹192675 तहबाजारी शुल्क के रूप में वसूलने योग्य शेष थी , जिसका विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है। जबकि इस बकाया शुल्क की वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है जिससे नगर परिषद को तहबाजारी शुल्क के साथ-2 इस पर

प्राप्त होने बाली ब्याज की राशि से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः इसकी वसूली हेतु कोई ठोस कदम उठाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(9) भारती एयरटेल की नवीनीकरण फीस के रूप में ₹ 1250/- का कम वसूलना :-

मोबाइल टाबर के रजिस्टर की जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 में भारती एयरटेल से मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रूप में ₹6250 देय थे, जबकि जी.8 संख्या 4/174 दिनांक 24.10.2015 (चैक संख्या 531282 दिनांक 24.10.2015) के द्वारा केवल ₹5000 (रजिस्टर पृष्ठ संख्या 132) ही वसूल किए गए थे। इस प्रकार ₹1250 (6250-5000) की कम वसूली की गई थी जिसकी यथाशीघ्र वसूली करके नगर परिषद के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित की जाये।

(10) रैहन वसेरा भवन के बिजली बिल ₹0.40 लाख का अनियमित भुगतान :-

जांच में पाया कि रैहन वसेरा भवन अप्रैल 2015 से तहसीलदार, सुजानपुर को मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के चलते कार्यालय प्रयोग हेतु दिया गया था, लेकिन वर्ष 2015-16 में रैहन बसेरा भवन के बिजली के बिलों ₹40217 का भुगतान नगर परिषद द्वारा अपने स्त्रौतों से किया गया था जबकि यह भुगतान तहसीलदार कार्यालय द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 256 दिनांक 26.10.2016 एवं 264 दिनांक 04.11.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को बिजली के बिलों का भुगतान नगर परिषद निधि से करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या MCS/SPT2016-2-C-2171 दिनांक 07.11.2016 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि बिजली के बिलों की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु तहसीलदार कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। अतः बिजली के बिलों की ₹40217 की शीघ्र वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भुगतान किये गए बिजली के बिलों का विवरण निम्नलिखित है:-

मीटर संख्या	बिल संख्या	राशि	रजिस्टर पृष्ठ संख्या
BP20000004	1213309262	243	58 से 63
	11124752700	145	
	11125147677	366	
	11125327912	148	

	1125507784	141	
	111256744034	157	
	11125829736	88	
	11126021474	30	
BP20000002	1213309260	2063	64 से 69
	11124752694	1967	
	बिल संख्या नहीं लिखी गई थी।	5796	
	11125327902	3578	
	11125507790	3584	
	11125674039	193	
	11125829724	1365	
	11126021482	3410	
BP20000003	1213309261	2255	
	11124752703	2100	
	11125147682	5467	
	11125327912	3569	
	11125607786	1077	
	11125674045	141	
	11125829731	1474	
	1126021746	860	
	कुल राशि	**40217**	

(11) ₹ 1041 का संविदाकार को अधिक भुगतान :-

Name of Work	R/o Street from house of swrup to house of Raghubir, ward-3
Award amount	₹121186
Award letter No.	No.MC/Work/99-15-2366-2370 Dated 11.08.15
Name of Contractor	Sh. Sandeep Soni
Measurement Books	45
Voucher Nos	375 dated 09.12.15

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम एवं अंतिम बिल की जांच पड़ताल के दौरान पाया कि माप पुस्तिका 45 के पृष्ठ 4 5 में टेंडर की मद " CC 1:3:6 (20 MM Nominal size) " की कुल मात्रा 0.21 cubic meter (1X7X0.20X0.15) दर्ज की गई थी जबकि पृष्ठ 46 में 0.56 cubic meter मात्रा अग्रेषित करके ठेकेदार को भुगतान किया गया था। इस प्रकार 0.35 cubic meter के ₹2975 प्रति cubic meter की दर से

₹1041 का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित किया जाये।

(12) ₹ 2981 का संविदाकार को अधिक भुगतान :-

Name of Work	R/o Street from house of Ravi Sood to house of Salish, ward-9
Award amount	₹111177
Award letter No.	No.MC/Work/99-15-2455 Dated 21.08.15
Name of Contractor	Sh. Sandeep Soni
Measurement Books	45
Voucher Nos	375 dated 09.12.15

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम एवं अंतिम बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) बिल की जांच पड़ताल के दौरान पाया कि माप पुस्तिका 45 के पृष्ठ 39 में टेंडर की मद "Excavation in foundation trenches etc " की कुल वास्तविक मात्रा 0.94 cubic meter थी जबकि इस मद की 4.40 cubic meter मात्रा दर्ज करके ठेकेदार को ₹1038 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

मद का नाम	**दर्ज की गई मात्रा**	**वास्तविक मात्रा**	**भुगतान की गई मात्रा**	**अधिक भुगतान राशि**
Excavation in foundation trenches etc,	1X15X0.20X0.20 (MB- 45, P-39)	0.60 m^3	3 m^3	2.40 X 300=720 (MB- 45, P-41)
	1X5.60X0.30X0.20 (MB- 45, P-39)	0.34 m^3	1.40 m^3	1.06 X 300=318 (MB- 45, P-41)

(ख) बिल की जांच पड़ताल के दौरान पाया कि माप पुस्तिका 45 के पृष्ठ 41 में टेंडर की मद " P/L CC 1:3:6 (20 MM Nominal Size) " की कुल मात्रा 1.24 cubic meter थी जबकि इस मद की 1.89 cubic meter मात्रा दर्ज करके ठेकेदार को ₹1943 का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

मद का नाम, माप पुस्तिका एवं पृष्ठ	**दर्ज की गई मात्रा**	**वास्तविक मात्रा**	**भुगतान की गई मात्रा**	**अधिक भुगतान राशि**
P/L CC 1:3:6 (20 MM Nominal Size)	1X5.60X0.30X0.15	0.25 m^3	0.90 m^3	0.65X2980=1937
	1X0.80X0.15X0.10	0.012 m^3	0.25 m^3	0.238X2980= 709
	1X2.40X0.15X0.10	0.036 m^3	0.10 m^3	0.064X2980= 191
	1X2.70X0.15X0.10	0.0405m^3	0.30 m^3	0.2595X2980= 773
	2X15X0.30X0.10	0.90 m^3	0.34 m^3	0.56X2980= -1667
	कुल मात्रा	**1.24 m^3**	**1.89 m^3**	
	अधिक भुगतान की गई राशि			**1943**

अतः उक्त बिल में संविंदाकार को किये गए अधिक भुगतान ₹2981 की उचित स्त्रौत से वसूली करके नगर परिषद के निधि खाते में जमा करने के उपरान्त कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

(13) ₹440/- का आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ताओं को अपेक्षित राशि से अधिक का भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

(**क)** चयनित माह 03/2015 के वाउचर संख्या 564 दिनांक 17.03.2015 की जांच में पाया कि बिल संख्या 6500 दिनांक 20.02.15 द्वारा मैसेर्ज़ पुरी हार्डवेयर स्टोर, हमीरपुर से ₹38732 में सफाई से सम्बन्धित सामग्री क्रय की गई थी, जिसमे से 50 लीटर Toilet Cleaner ₹45 प्रति लीटर एवं vat @ 13.75% अतिरिक्त की दर से ₹2559 में क्रय किया था। जबकि वर्ष 2014-15 में Toilet Cleaner की दर ₹42 प्रति लीटर एवं vat @ 13.75% अनुमोदित की गई थी। अतः उक्त बिल में आपूर्तिकर्ता को किए गए अधिक भुगतान ₹170 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार वाउचर संख्या 362 दिनांक 17.11.2014 , बिल संख्या 6250 दिनांक 10.11.14 द्वारा मैसेर्ज़ पुरी हार्डवेयर स्टोर, हमीरपुर में भी 50 लीटर Toilet Cleaner की खरीद पर ₹170 का अधिक भुगतान किया गया था , जिसकी वसूली करने के साथ- साथ वर्ष 2014-15 के अन्य माहों में किए गये इस प्रकार के अनियमित भुगतानों की गणना संस्था स्तर पर करके वसूली करना सुनिश्चित करें एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

(ख) चयनित माह 12/2015 के वाउचर संख्या 372 दिनांक 08.12.2015 की जांच में पाया कि बिल संख्या 130 दिनांक 09.08.15 द्वारा मैसेर्ज़ रॉयल मोटर्स , आलमपुर से ₹1300 में ट्रैक्टर संख्या HP-22-7290 की मुरम्मत करवाई गई थी। जिसकी जांच में पाया कि उक्त बिल का कुल जोड़ ₹1200/- था। अतः उक्त बिल में किए गये अधिक भुगतान ₹100 की वसूली करने के साथ-2 भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये ।

(14) <u>बिना निविदायें आमंत्रित किए ₹0.49 लाख की सामग्री का क्रय करने बारे</u> :-

हिमाचल प्रदेश वित नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000 से अधिक की खरीद के लिए निविदायें आमंत्रित करना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय की जांच करने पर पाया कि नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में सामग्री का क्रय बिना निविदायें आमंत्रित किए किया गया

था। यदि सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित करके किया गया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निविदायें आमंत्रित किए की गई खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये एवं भविष्य में नियमों के अनुसार निविदायें आमंत्रित करना भी सुनिश्चित करें। क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्नलिखित है :-

वाउचर संख्या	**बिल का विवरण**	**क्रय की गई सामग्री**	**राशि**
372 दिनांक 08.12.15	Bill No. 128 Dated 08.08.2015, M/s Royal Motors, Alampur	ट्रैक्टर की मुरम्मत हेतु	7125.00
372 दिनांक 08.12.15	Bill No. 129 Dated 08.08.2015, M/s Royal Motors, Alampur	ट्रैक्टर की मुरम्मत हेतु	11685.00
372 दिनांक 08.12.15	Bill No. 1394 Dated 26.11.2015, M/s Shree Arts, Hamirpur	30 Nos Flax	15070.00
383 दिनांक 15.12.15	Bill No. 0057 Dated 02.11.2015, M/s Anant seeds & Farming Equipment	Agriculture Reeper (Bush Cutter)	15400.00
		कुल राशि	**49280.00**

(15) ₹ 1050/- की विभिन्न सामग्री की भण्डारण में कम मात्रा दर्शाने बारे :-

नगर परिषद के विभिन्न भण्डार रजिस्टरों की जांच करने पर पाया कि सामग्री की मात्रा भण्डार में कम प्रदर्शित की गई थी जिस कारण ₹1050/- की परिषद को हानि हुई। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके संबन्धित निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। कम दर्शाई गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	**Name of item**	**Dated**	**Stock E/P**	**Quantity shown**	**Actual quantity (in No.)**	**Less quantity shown**	**Value of material (in Rs.)**
1	BHC Powder	13.05.14	Sanitary Stock Register, P-22	95 KG	105 KG	10 KG	10X41=410
2	TUBE SIDE HOLDER	16.06.15	Street light Stock Register, P-23	69	71	2	2X10=20
3	CFL BULB 65 WATT	12.01.16	Street light Stock Register, P-59	5	6	1	1X620=620

कुल राशि 1050.00

(16) वेतन के गलत निर्धारण के कारण कर्मचारियों को संभावित अधिक भुगतान:-

नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया कि निम्नलिखित कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण गलत किया गया था :-

(**क)** श्री कुलदीप चन्द (बेलदार) की सेवा पुस्तिका की जांच में पाया कि कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 02.08.2010 को हुई थी एवं दिनांक 01.10.2012 को संशोधित ग्रेड पे ₹1650 जारी कर दी थी । जांच में पाया कि दिनांक 02.08.2014 को New ACPS 4-9-14 के अन्तर्गत 4 वर्ष की वेतन बृद्धि प्रदान कर दी गई थी जो कि नियमानुसार दिनांक 01.10.2016 को देय थी , जिस कारण से कर्मचारी को दिनांक 30.09.2016 तक ₹13050/- का अधिक भुगतान कर दिया गया था। इस अनियमितता की सूचना अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 272 दिनांक 21.11.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी गई थी जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या MCS/SPT/2016-2-सी-2312 दिनांक 16.12.2016 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि अगर वेतन के निर्धारण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबन्धित कर्मचारी से कर ली जायेगी। वेतन के गलत निर्धारण के फलस्वरूप किए गए अनियमित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

Basic Pay on 01.08.2014:- ₹7370/- (5720+1650)

Period	**Salary Due**	**Salary Paid**	**Excess Payment**
02.08.14 से 31.12.14 DA @ 107%	7370+7886=15256	7600+8132= 15732	476 X 5 = 2380
01.01.15 से 30.06.15 DA @ 113%	7370+8328=15698	7600+8588 = 16188	490 X 6 = 2940
01.07.15 से 31.07.15 DA @ 119%	7370+8770=16140	7600+9044 = 16644	504 X 1 = 504
01.08.15 से 31.12.15 DA @ 119%	7600+9044=16644	7830+9318 = 17148	504 X 5 = 2520
01.01.16 से 31.07.16 DA @ 125%	7600+9500=17100	7830+9788 = 17618	518 X 7 = 3626
01.08.16 से 30.09.16 DA @ 125%	7830+9788=17618	8070+10088= 18158	540 X 2 = 1080

कुल राशि 13050

अतः उक्त वर्णित अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹13050 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

(ख) श्री जोगिन्द्र पाल (सफाई कर्मचारी) की सेवा पुस्तिका की जांच में पाया कि कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 01.01.1998 को हुई थी एवं दिनांक 01.01.2006 को संशोधित वेतन का गलत निर्धारण करने के फलस्वरूप कर्मचारी को अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः इस अनियमितता की सूचना अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 273 दिनांक 21.11.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को दी गई थी जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या MCS/SPT/2016-2-सी-2313 दिनांक 16.12.2016 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अगर वेतन के निर्धारण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबन्धित कर्मचारी से कर ली जायेगी। दिनांक 01.01.2006 से देय वेतन एवं भुगतान किये गये वेतन का विवरण निम्नलिखित है :-

Date of appointment : 01.01.1998
Basic Pay on 31.12.2005 : ₹3330
Revised Basic Pay on 01.01.2006 : ₹7500

Period	Notional Pay	Basic Pay Due	Basic Pay Granted
01.01.2006 after granting annual increment	-	7730	
01.01.06 (ACPS after 8 years service)	-	8070 (6670+1400)	8290
01.01.07	-	8320	8540
01.01.08	-	8570	8800
01.01.09	-	8830	9070
28.08.09 (Notional)New ACPS 9 YEARS	9350 (7700+1650)	8830	9350
01.01.10	9630	9100	9920
01..01.11	9920	9380	10220
01.01.12	10220	9670	
01.01.12 (Notional)New ACPS 14 YEARS	10780 (8880+1900)	9670	10850
09.08.12		10780	11450
01.01.13		11110	11800
01.01.14		11450	12160
01.01.15		11800	12530
01.01.16		12160	12910

अतः उक्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा दिनांक 01.01.2006 से किये गये अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

(17) ₹3.51 लाख की धरोहर राशि को CPWD Work Manual के नियम 21.7 के अनुसार परिषद की आय में लेखांकित न करना :-

धरोहर राशि के रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि विभिन्न कार्यों की धरोहर राशि की रूप में ₹350913 भुगतान हेतु माह 11/2013 तक नगर परिषद के खाते में शेष थी। अतः यह राशि अब CPWD Work Manual के नियम 21.7 के अनुसार लौटाने योग्य नहीं है। नियमानुसार किसी कार्य को पूरा करने के 3 वर्ष के भीतर यदि ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि को वापिस लेने का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो तो इस राशि को Lapsed Security Deposit मानकर उस संस्था की आय मान ली जाती है। अतः इस राशि को उपरोक्त नियम के अनुसार परिषद की आय में लिया जाना सुनिश्चित किया जाये । पूर्ण ब्योरा इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है।

(18) <u>भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना</u> :-

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में दर्ज सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना से भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाही से इस विभाग/ कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(19) लघु आपति विवरणी :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

(20) निष्कर्षः- लेखों के रख-रखाब में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृश्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच (2)सी(15)(8) 58/76 खण्ड–3,–1755–1756 दिनांकः23.03.2017
शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

पंजीकृत 2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

परिशिष्ट (क)   पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/82

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/86

1	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2004

1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	(तहबाजारी शुल्क ₹10 प्रतिदिन का निर्धारण प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 07.02.2002 द्वारा किया गया था, जबकि वसूली की गणना 4/95 से कर दी गई थी। अतः वसूली की गणना 3/2002 से 3/2004 तक 25 माह की 42 तहबाजारी होल्डरों से ₹240 प्रति माह 42 तहबाजारी से कुल ₹252000 निर्धारित की गई जिसकी शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें।)
2	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	(तहबाजारी शुल्क ₹10 प्रतिदिन का निर्धारण प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 07.02.2002 द्वारा किया गया था, जबकि वसूली की गणना 4/95 से कर दी गई थी। अतः वसूली की गणना 3/2002 से 3/2002 तक 25 माह की 5 तहबाजारी होल्डरों से ₹240 प्रति माह से कुल ₹30000 निर्धारित की गई जिसकी शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें।)
3	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत	(तहबाजारी शुल्क ₹10 प्रतिदिन का निर्धारण प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 07.02.2002 द्वारा किया गया था, जबकि वसूली की गणना 4/95 से कर दी गई थी। अतः वसूली की गणना 3/2002 से 3/2004 तक 25 माह की 4 तहबाजारी होल्डरों से ₹100 प्रति माह से कुल ₹10000 निर्धारित की गई जिसकी शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें।)
4	पैरा–8	आंशिक रूप से निर्णीत	कुल वसूली ₹649240 में से ₹140428 की वसूली कर ली गई थी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः शेष राशि ₹508812 (649240–140428) की वसूली करना सुनिश्चित करें।
5	पैरा–10 (ii)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)

6	पैरा—10 (iii)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
7	पैरा—10 (v)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
8	पैरा—10 (vi) (क से ङ)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
9	पैरा—10 (viii)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
10	पैरा—10 (ix) (क से च)	अनिर्णीत	
11	पैरा—10 (x) (क से ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा—10 (xi)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
13	पैरा—10 (xii) (क से घ)	अनिर्णीत	
14	पैरा—10 (xiv)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैश्रा समाप्त)
15	पैरा—10 (xv)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
16	पैरा—10 (xvi)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैश्रा समाप्त)
17	पैरा—11 (i)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
18	पैरा—11 (ii)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
19	पैरा—11 (iii)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
20	पैरा—11 (iv)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
21	पैरा—11 (vi)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
22	पैरा—11 (vii)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
23	पैरा—11 (viii)	अनिर्णीत	
24	पैरा—11 (ix)	अनिर्णीत	
25	पैरा—12 (1)	अनिर्णीत	
26	पैरा—12 (2)	अनिर्णीत	
27	पैरा—12 (3)	अनिर्णीत	
28	पैरा—12 (4) (क)	अनिर्णीत	
29	पैरा—12 (4) (ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा—12 (4) (ग)	अनिर्णीत	
31	पैरा—12 (4) (घ)	अनिर्णीत	
32	पैरा—12 (5)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
33	पैरा—13 (1)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
34	पैरा—13 (2)	अनिर्णीत	
35	पैरा—14	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)

36	पैरा–15	निर्णीत	(₹21825 की वसूली कर ली गई थी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः पैरे का समायोजन कर दिया गया।)
37	पैरा–16	अनिर्णीत	
38	पैरा–18	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
39	पैरा–19 (1)	अनिर्णीत	
40	पैरा–19 (2)	अनिर्णीत	

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा–7 (ख)	निर्णीत	रसीद संख्या 33/210 दिनांक 23.12.15 ₹2178 रसीद संख्या 35/210 दिनांक 24.12.15 ₹434 रसीद संख्या 4 से 8/289 दिनांक 8.11.16 ₹2739 कुल ₹5351 की वसूली कर ली गई थी। अतः पैरे का समायोजन कर दिया।
2	पैरा–7 (घ)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
3	पैरा–7 (ङ)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–11 (क)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
2	पैरा–11 (ख) (1)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
3	पैरा–11 (ख) (2)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
4	पैरा–11 (ख) (3)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
5	पैरा–11 (ख) (4)	निर्णीत	(अभिलेखों की जाँच उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
6	पैरा–11 (ख) (5)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
7	पैरा–11 (ग) (3)	अनिर्णीत	
8	पैरा–11 (ग) (4)	अनिर्णीत	
9	पैरा–11 (घ) (2)	अनिर्णीत	
10	पैरा–11 (घ) (3)	अनिर्णीत	
11	पैरा–11 (ङ)	अनिर्णीत	
12	पैरा–11 (च)	निर्णीत	रसीद संख्या 26/91 दिनांक 29.5.11 ₹3348 रसीद संख्या 22/210 दिनांक 4.8.15 ₹1031 रसीद संख्या 13/89 दिनांक 23.11.16 ₹5260

			कुल ₹9639 की वसूली कर ली गई थी। अतः पैरे का समायोजन कर दिया।
13	पैरा–11 (झ) (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा–11 (झ) (4)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
15	पैरा–11 (ञ)	अनिर्णीत	

(6) अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–7	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
2	पैरा–12	आंशिक रूप से निर्णीत	पैरे में वर्णित क्रम संख्या 1 से 6 एवं 8, 9 तक किरायेदारों से मार्च 2016 तक शत प्रतिशत वसूली कर ली गई थी, लेकिन क्रम संख्या 7 दुकान संख्या 34 श्री मोहिन्द्र सिंह से किराये की राशि वसूली हेतु शेष है
3	पैरा–17	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
4	पैरा–18	निर्णीत	रसीद संख्या 28 से 39/10 दिनांक 5.5.12 रसीद संख्या 17/13 दिनांक 2.6.12 रसीद संख्या 12 से 13/18 दिनांक 4.7.12 रसीद संख्या 1 से 17/210 द्वारा वसूली कर ली गई थी
5	पैरा–23	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
6	पैरा–24	निर्णीत	रसीद संख्या 41/210 दिनांक 3.5.16 ₹19200 की वसूली कर ली गई थी
7	पैरा–28	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
8	पैरा–28 (1)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)

(7) अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–8	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
2	पैरा–10 (क)	निर्णीत	रसीद संख्या 11/289 दिनांक 23.11.16 ₹3208 की वसूली कर ली गई थी
3	पैरा–10 (ख)	निर्णीत	रसीद संख्या 12/289 दिनांक 23.11.16 ₹1188 की वसूली कर ली गई थी
4	पैरा–10 (घ)	निर्णीत	रसीद संख्या 12/289 दिनांक 23.11.16 ₹755 की वसूली कर ली गई थी
5	पैरा–11	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
6	पैरा–12	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)

7	पैरा—13 (ग)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
8	पैरा—14	अनिर्णीत	
9	पैरा—15 (क)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
10	पैरा—15 (ग)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)

(8) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा—4	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
2	पैरा—5	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
3	पैरा—6	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
4	पैरा—7 (क)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
5	पैरा—7 (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा—8 (क)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
7	पैरा—8 (ख)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
8	पैरा—9 (क)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
9	पैरा—9 (ख)	निर्णीत	रसीद संख्या 35/50रसीद संख्या 36 से 47, 49 से 50/282 1 से 4/286, 18 एवं 44/210 तथा 48/286 द्वारा ₹9472 की वसूली कर ली गई है।
10	पैरा—10 (1)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है)
11	पैरा—10 (2)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
12	पैरा—11	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
13	पैरा—12 (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा—12 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा—12 (ग)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
16	पैरा—13	निर्णीत	रसीद संख्या 47/210 दिनांक 26.8.16 ₹360 की वसूली कर ली गई थी
17	पैरा—14	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
18	पैरा—15	निर्णीत	रसीद संख्या 49, 50/286 दिनांक 5.11.16 एवं रसीद संख्या 1 से 3/287 दिनांक 5.11.16 व रसीद संख्या 16/113 दिनांक

			12.11.13 द्वारा ₹2950 की वसूली कर ली गई है।
19	पैरा–16 (1)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
20	पैरा–16 (2)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
21	पैरा–17 (1) (क) (ख) (ग) (घ)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
22	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत	
23	पैरा–17 (3) (क) (ख) (ग)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
24	पैरा–17 (4) (क) (ख) (ग)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
25	पैरा–17 (5)	अनिर्णीत	
26	पैरा–17 (6) (क) (ख) (ग)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
27	पैरा–17 (7)	निर्णीत	(रसीद संख्या 14 ⁄ 287 दिनांक 8.11.16 ₹187 एवं धरोहर ₹1800 पृष्ठ 61 को जब्त करके कुल ₹1987 की वसूली कर ली गई थी।)
28	पैरा–17 (8)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
29	पैरा–17 (9)	निर्णीत	संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत एवं रसीद संख्या 9 ⁄ 289 दिनांक 15.11.16 ₹378 एवं धरोहर ₹6400 को वाउचर संख्या 00998 दिनांक 15.11.16 द्वारा जब्त करके कुल वसूली ₹6778 कर ली गई थी, अतः पैरा समाप्त।
30	पैरा–17 (10)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत एवं रसीद संख्या 9 ⁄ 289 दिनांक 19.6.15 ₹3990 की वसूली कर ली गई अतः पैरा समाप्त
31	पैरा–17 (11)	निर्णीत	(ठेकेदार की लम्बित धरोहर राशि से 3223 (पृष्ठ 37) को वाउचर संख्या 00999 दिनांक 15.11.16 द्वारा जब्त कर ली गई थी, अतः पैरा समाप्त)
32	पैरा–17 (12)	अनिर्णीत	
33	पैरा–17 (13)	अनिर्णीत	

34	पैरा–17 (14)	अनिर्णीत	
35	पैरा–17 (15)	अनिर्णीत	
36	पैरा–17 (16)	निर्णीत	संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत एवं रसीद संख्या 21/282 दिनांक 3.10.16 ₹6968 द्वारा वसूली कर ली गई थी, अतः पैरा समाप्त।
37	पैरा–18	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
38	पैरा–19 (1)	निर्णीत	रसीद संख्या 42/210 दिनांक 3.5.16 द्वारा ₹6014 (31X194) की वसूली कर ली गई थी। अतः पैरा समाप्त
39	पैरा–19 (2)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
40	पैरा–19 (3)	निर्णीत	(संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 3/14 तक अनिर्णीत पैरों की सं0	118
वर्तमान अवधि के दौरान लगाए गए पैरों की सं0	(+) 14
वर्तमान अवधि में निपटाए गए पैरों की सं0	(–)77
31.3.16 तक अन्तशेष	55